

## दिनाँक 04.10.20

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना पलिया पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्ची को 24 घंटे से कम समय में सकुशल बरामद किया गया



दिनांक 02.10.20 को समय लगभग 20.35 बजे संतोष कुमार पुत्र स्व मदनलाल गुप्ता ने थाना पिलया पुलिस को सूचना दी कि उनकी पुत्री निधी उर्फ वर्षा (आयु 09 वर्ष) घर से सुबह 09.00 बजे ब्रेड लेने गई थी जो वापस घर नहीं लौटी जिसकी सूचना पर थाना पिलया पर मु0.30सं0 541/20 धारा 363 भादिव0 पंजीकृत किया गया। सूचना मिलने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी तथा अपर पुलिस अधीक्षक खीरी द्वारा मध्य रात्रि में थाना स्थानीय पर कैंप कर प्रभारी निरीक्षक पिलया को गुमशुदा की बरामदगी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन तथा पिलया पुलिस के अथक पिरश्रम से बालिका निधी उपरोक्त को दिनांक 03.10.20 को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। अपनी खोई बच्ची को वापस पाकर परिवारीजन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विजय दुल एवं थाना पिलया पुलिस को इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया है। पिलया थाना क्षेत्र की आम जनता द्वारा भी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिखाई गई तत्परता एवं संवेदनशीलता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की जा रही है।

## थाना मितौली पुलिस द्वारा 02 गुमशुदा व्यक्तियों को सकुशल बरामद किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी पुलिस द्वारा अपहृत एवं गुमशुदा व्यक्तियों के सकुशल बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी मितौली महोदय के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 04.10.20 को थाना मितौली पुलिस द्वारा 02 गुमशुदा व्यक्तियों विनय कुमार पुत्र श्री कृष्ण निवासी गणेशपुर थाना मितौली खीरी एवं अंशुमन पुत्र अमर सिंह ग्राम संडीलवा थाना मितौली खीरी को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। उक्त दोनों गुमशुदा के संबंध में थाना मितौली पर मु०अ०सं० 369/20 धारा 363 भादवि व 374/20 धारा 363 भादवि के अंतर्गत गुमशुदगी पंजीकृत की गई थी।

## थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अभियुक्त रुपराम पुत्र परसादी लाल को अवैध तमंचा व कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधिक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में दि0 03.10.20 को थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा कस्बा मोहम्मदी से अभियुक्त रुपराम पुत्र परसादी लाल नि0 पिपरिया धनी थाना मोहम्मदी खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद स्विफ्ट कार सं0 UP 32 DB 2470 बरामद की गई। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 759/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

## अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 60 लीटर अवैध कच्ची शराब तथा 02 शराब भट्ठी बरामद कर 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1	थाना सम्पूर्णानगर	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
2	थाना पसगवां	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना तिकुनिया	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल	60 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार